न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 31/2020 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री पिन्टू राम चौधरी पुत्र श्री छोटे लाल चौधरी(मालिक विक्रेता)
एफबीओ मैसर्सः– बालाजी एण्टरप्राइजेज, एनएच–21, दुग्ध अवशीतन केन्द्र, सरस पार्लर दौसा।
निवासीः– ग्राम पोस्ट–पण्डितपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 06.01.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.07.2020 को दोपहर बाद 01:30 बजे मैसर्सः– बालाजी एण्टरप्राइजेज, एनएच–21, दुग्ध अवशीतन केन्द्र, सरस पार्लर दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय डेयरी विक्रेता श्री पिन्टूराम चौधरी पुत्र श्री छोटेलाल चौधरी उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त डेयरी का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की डेयरी पर फीज में 500 एमएल वजनी 24 पॉलीपैक पाश्चुराइज्ड फूल क्रीम मिल्क (सरस गोल्ड) रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर फ्रीज में से 4 पॉलीपैक X 500 एमएल नमूने की जॉच हेतु खरीदा। जिनकी कीमत 112 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 4 पॉलीपैक X 500 एमएल पाश्चुराइज्ड फूल क्रीम मिल्क (सरस गोल्ड) को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40–40 बून्द फॉर्मलिन की डालकर प्रत्येक बोतल को एयरटाइट ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं.(विक्रेता) के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलो पर चिपकाकर एवं मूल पैकिंग लेबल को नमूना बोतलों पर चिपकाकर अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2410 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोद से चिपकाकर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये। गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी. ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री हितेश खण्डेलवाल कनिष्ठ लिपिक मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.07.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 10.07.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 10.07.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड फूल क्रीम मिल्क (सरस गोल्ड) के नमूने की मुख्य खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./317/एक्ट/2020/388 दिनांक 23.07.2020 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड फूल क्रीम मिल्क (सरस गोल्ड) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./317/एक्ट/2020/388 दिनांक 23.07.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड फूल क्रीम मिल्क (सरस गोल्ड) के नमूने में मिल्क फैट की मात्रा 5.80 प्रतिशत ही पाई गई है, जो कि तय मानको के अनुसार कम से कम 6.0 प्रतिशत होनी चाहिए थी। मिल्क फैट की मात्रा तय मानको से कम पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड फूल क्रीम मिल्क (सरस गोल्ड) का नूमना सबस्टैण्डर्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड फूल क्रीम मिल्क (सरस गोल्ड) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सरस डेयरी जयपुर द्वारा पैक दूध को 5 डिग्री के तापमान पर कोल्ड चैन को मेन्टेन करते हुए दूध की गुणवत्ता हेतु रखा जाता है। चूंकि यह दूध **Unhomogenized** होता है। जिसकी वजह से कम तापमान पर दूध की क्रीम फैट की **Specific Gravity** दूध की एसएनएफ की तुलना में कम होने की वजह से **Separate** होकर उपरी सतह पर आ जाती है। जिसकी वजह से हो सकता है कि दूध की फैट जांच करने पर 6.00 होते हुए भी 5.80 ही निकल पाई है। चूंकि डेयरी द्वारा दूध को अपने स्तर पर ही क्वॉलिटी कन्ट्रोल लैब द्वारा तीन स्तर पर चैक कर **Quality Assurance** दी जाती है। यह गलती डीप फ्रीज में रखे हुए दूध के **Fat Separate** की वजह से ही हो सकती है। मैं गरीब परिवार से हूं एवं बूथ चलाकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। अतः निवेदन है कि कम से कम आर्थिक दण्ड देकर मुझे गलीते के लिये माफ करने का श्रम करे।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र0 सं0 : 31/2020 **FSSA**

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी गरीब परिवार से है एवं बूथ चलाकर ही अपने परिवार का पालन–पोषण करता है किन्तु परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /317/एक्ट/2020/388 दिनांक 23.07.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड फूल क्रीम मिल्क (सरस गोल्ड) का नमूना सबस्टैण्डर्ड घोषित किया गया है। जो कि एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड फूल क्रीम मिल्क (सरस गोल्ड) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री पिन्टू राम चौधरी पुत्र श्री छोटे लाल चौधरी(मालिक विक्रेता) एफबीओ मैसर्सः– बालाजी एण्टरप्राइजेज, एनएच–21, दुग्ध अवशीतन केन्द्र, सरस पार्लर दौसा निवासीः– ग्राम पोस्ट–पण्डितपुरा तहसील बसवा जिला दौसा पर 500 (अक्षरे पांच सौ रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 06.01.2021 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/2021/166-168 दिनांकः– 13.01.2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री पिन्टू राम चौधरी पुत्र श्री छोटे लाल चौधरी एफबीओ मैसर्स बालाजी एण्टरप्राइजेज, एनएच–21, दुग्ध अवशीतन केन्द्र, सरस पार्लर दौसा निवासीः– ग्राम पोस्ट–पण्डितपुरा तहसील बसवा जिला दौसा

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official